63/2023 IV I

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

VERIFIED
LOCKED

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK34771145955127V
Certificate Issued Date	:	07-Feb-2023 11:22 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1203704/ JWALAPUR/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120370475367920921070V
Purchased by	:	GREEN WORLD EDUCATIONAL TRUST
Description of Document	:	Article 64(A) Trust
Property Description	:	-
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	GREEN WORLD EDUCATIONAL TRUST
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	GREEN WORLD EDUCATIONAL TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	350 (Three Hundred And Fifty only)

सत्यमेव जयते

PRAMOD KUMAR
Stamp Vender
Lic. No. 102/97
Tehsil Campus Haridwar

₹350

Please write or type below this line

IN-UK34771145955127V

M. Hasin

M. Hasin

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ग्रीन वर्ल्ड एजुकेशनल ट्रस्ट

आधार 773256373509

घोषणा पत्र

मैं कि मोहम्मद हसीन अहमद पुत्र हसनु ग्राम व पोस्ट धनपुरा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड का निवासी हूं जिन्हें संस्थापक व्यवस्थापक कहा गया है। संस्थापक/व्यवस्थापक की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने व कालिज आदि खोलने, व मानव सेवा आदि की है जिसके लिए संस्थापक/व्यवस्थापक / अध्यक्ष/ **ग्रीन वर्ल्ड एजुकेशनल ट्रस्ट** स्थापित कर रहे हैं।

विदित हो कि संस्थापक/व्यवस्थापक धनराशि अंकन रु0 5000/-के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा संस्थापक/व्यवस्थापक देश में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रहे मानव की समस्याओं को दूर करने के लिये मानव सेवा करने व देश में बढ़ती हुई गरीबी की समस्या को दूर करने, शिक्षा व स्वास्थ्य व अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, महिलाओं के उत्थान व उन्नति एवं सशक्तिकरण के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना कर रहे हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थापक/व्यवस्थापक ने उक्त राशि अंकन रुपये 5,000/– को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासी उक्त राशि को आगे दी गई शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगें। उक्त संस्थापक/व्यवस्थापक ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी (Founder) होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं अतः संस्थापक/व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते है और घोषणा करते हैं कि :–

1. यह कि ट्रस्ट का नाम **"ग्रीन वर्ल्ड एजुकेशनल ट्रस्ट "** होगा।

2. यह कि ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय ग्राम व पोस्ट धनपुरा **जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** होगा परन्तु ट्रस्ट के अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कही पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।

M. HASIN

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन रुपये 5000/– जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नगद राशि, निवेश, दान, ऋण, अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गई शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।

4. यह कि ट्रस्टीगण फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की **स्थापना** एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रहे मानव की समस्याओं को दूर करने के लिए मानव सेवा करने व देश में बढ़ती हुई गरीबी की समस्या को दूर करने के कार्य करने हेतू धारण करेगे तथा न्यासीगण (अध्यक्ष) को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय–समय पर सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों या विभागों से भूमि तथा भवनों का ग्रहण, अधिग्रहण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि उक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वागीण रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य

1. मानव सेवा में निर्धन व कमजोर वर्ग के माता–पिता के आंसू पौंछने के लिये उनकी कन्याओं का विवाह कराना, विधवा स्त्रियों व निर्धन कन्याओं के लिए मुफ्त सिलाई, कढ़ाई, प्रशिक्षण देना जिससे वे अपनी आजीविका चलाने हेतु आत्म निर्भर बन सके व कमजोर व निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना व असमर्थ/अनाथ/लावारिस मृत शरीर का अन्तिम संस्कार, करने हेतु शमशान घाट पर उसकी अन्तिम क्रिया पूर्ण करना व समस्त समान निःशुल्क उपलब्ध कराना व गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रहे मानव की समस्याओं को दूर करने के लिए मानव सेवा करने व देश में बढ़ती हुई गरीबी की समस्या को दूर करना व भूखे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाना, प्यासे लोगों को पानी पिलाना, गरीब मरीजों

M. HASIN

आधार 773256373509

2. का खानपान व दवाई की व्यवस्था करना, एम्बूलेन्स सुविधा उपलब्ध कराना, मुफ्त आंखों की जांच कराना, मुफ्त नेत्र आपरेशन कैम्प लगाना, प्राचीन धार्मिक स्थलों पर भजन व भोजन की व्यवस्था करना, वृद्ध सेवा आश्रम खोलना, गरीब लोगों को ठण्ड से बचाने के लिए कम्बल रजाई ऊनी वस्त्र बांटना, गरीब लोगों के लिए खून की व्यवस्था करना, अनाथालय आश्रम बनाना।

2. मैडिकल कालिज, डेन्टल कालिज एवं अस्पताल व विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन करना।

3. इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना व संचालन करना।

4. स्कूल, प्ले स्कूल, कालिज, तकनीकी शिक्षा व फार्मेसी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना। सभी प्रकार के ग्रेजुवेशन व पोस्ट ग्रेजुवेशन, प्रबन्धन, प्रोफेसनल, प्रारम्भिक शिक्षा, जूनियर हाईस्कूल व इण्टर कालिज आदि के शिक्षा सम्बन्धी सभी कोर्स हेतु कालेजों की स्थापना करना व संचालन करना।

5. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना व एन.जी.ओ. चलाना व राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर ट्रस्ट के कार्य करना व सहयोग लेना व देना।

6. शैक्षिक क्रियाओं, पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हास्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

7. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व पिछडी जाति तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्रों के लिये छात्रवृत्ति, शिक्षण शुल्क सहायता आदि प्रदान करना, तथा सरकार से प्राप्त करके बच्चों को देना।

8. सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाईजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर उन्हें देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।

9. अस्पताल, औषद्यालय, अनुसंधानशालाओं एवं रसायनशालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

10. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ लगाना जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढे और अवैध कब्जे भी न हो पाये।

M. HASIN

11. निरीह प्राणियों, पशु और पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

12. स्कूल व कालिज में छात्रों/छात्राओं को पर्यावरण के लिए जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय–विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।

14. समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना।

15. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना।

17. वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।

18. भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिकों, भूतपूर्व पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों, एंव पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों व अर्द्ध सैनिकबल एवं सुरक्षा बलों के हितों एवं उनके परिवारों के कल्याणर्थ कार्य करना।

19. स्कूल कालिज तकनीकी शिक्षा, सिलाई केन्द्र व कढ़ाई केन्द्र की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

20. अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के उत्थान व उन्नति व शिक्षा व स्वालम्बी बनाने के लिए कार्य करना।

21. देश के कोने–कोने में भक्ति, सतसंग, भजन, कीर्तन इत्यादि धार्मिक कार्य कराकर मानव को भगवत मार्ग पर चलाना।

22. संस्थानों द्वारा मानव सेवा करना।

23. बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, बी0टी0सी0, डी0एल0एड0, बी0ए0,एलएल0बी0, 0एल0एड0, एल0एल0बी0ए एम0बी0बी0एस0, नर्सिंग कोर्स, बी0ए0एम0एस0, बी0एम0एच0एस0, जीनियरिंग एण्ड टैक्नालोजी, बी0 फार्मा, डी0 फार्मा, एम0 फार्मा, एम0बी0ए0, बी0बी0ए0, 0सी0ए0, एम0सी0ए0, बी0टैक, एम0टैक, पौलिटैक्निक,, आई0टी0आई0, प्राईमरी, इण्टर, डिग्री लिज, यू0पी0 बोर्ड से सम्बन्ध स्कूल कालिज, आई0सी0एस0सी0 से सम्बन्धित इण्टर कालिज,

M.HASIW

सी0बी0एस0सी0 से सम्बन्धित शिक्षण संस्थान आदि कालिजों व कोर्सो की स्थापना करना व संचालन करना व उनके लिए भूमि/सम्पत्ति प्राप्त करना, मान्यता प्राप्त करना व अन्य सुविधायें प्राप्त करना।

कार्यक्षेत्र

7. यह कि न्यास/ ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष/समस्त संसार होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

10. यह कि अध्यक्ष का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा तथा अध्यक्ष, की मृत्यु के बाद उनकी सन्तानें/कानूनी उत्तराधिकारी/वारिस का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा। अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोंपरान्त उस वसीयत के अनुसार अध्यक्ष ही उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेगे किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।

11. यह कि प्रत्येक न्यासी/ ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नाम नामांकन कराया जायेगा जो कि उक्त न्यासी/ ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ ट्रस्टी होगा तथा नव नियुक्त ट्रस्टियों को एदतद्वारा नियुक्त ट्रस्टियों के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा। इन सभी नियुक्तियों पर अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि माना जायेगा व उनके द्वारा नये ट्रस्टी का नाम तय होगा।

M. HASIM

12. यह कि व्यवस्थापक / ट्रस्टी ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतू अपने को अध्यक्ष नियुक्त कर लिया है एवं, अध्यक्ष को ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये बहुमत से नये ट्रस्टी बनाने का अधिकार होगा लेकिन समस्त अधिकार नये ट्रस्टी बनाने के लिये अध्यक्ष, की सहमति से ही होगे, तथा सर्वसम्मति से ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगे। अध्यक्ष का कार्यकाल जीवन पर्यान्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल भी आजीवन होगा तथा समय से पहले भी सर्वसम्मति से बाकी सदस्य को उनके पद से हटा सकते हैं तथा निवर्तमान पदाधिकारियों का पुनः चयन हो सकता है और यदि कोई सदस्य/पदाधिकारी ट्रस्ट से अलग होना चाहेगा तो त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग हो सकेगा और उसके स्थान पर अध्यक्ष को, सर्वसम्मति से अन्य ट्रस्टी बनाने का अधिकार होगा।

13. यह कि अध्यक्ष मोहम्मद हसीन अहमद ग्राम व पोस्ट धनपुरा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड उपरोक्त ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष होंगे तथा इनके सहित ट्रस्ट के कुल तीन संस्थापक ट्रस्टी बनाये गये हैं जो निम्नवत् है :–

सदस्य सूचि

(क) **शहनुदा पत्नी मोहम्मद हसीन अहमद** ग्राम व पोस्ट धनपुरा जिला हरिद्वार ।उत्तराखण्ड

सचिव / आजीवन सदस्य

(ख) अमीर बाबू पुत्र हसनु ग्राम व पोस्ट धनपुरा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।

कोषाध्यक्ष / आजीवन

(ग) मोहम्मद हसीन अहमद पुत्र हसनु ग्राम व पोस्ट धनपुरा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

अध्यक्ष/ आजीवन

M. HASIN

14. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगे :–

अध्यक्ष :– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना।

कोषाध्यक्षः– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना।

सचिव :– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना एवं ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख रखाव व उनकी सुरक्षा करना।

कोषाध्यक्ष :– ट्रस्ट की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसको आडिट कराना। ट्रस्ट की समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष, एवं सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातां का संचालन केवल अध्यक्ष व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक रूप से यानि दोनों में से कोई भी एक द्वारा किया जायेगा।

सदस्य बनाने का प्राविधान :– यह कि किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष ,सचिव एवं **कोषाध्यक्ष** की संयुक्त सहमति से ही 5 वर्ष के लिए सदस्ये अथवा पदाधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा किन्तु उक्त बनाये ये सदस्यों को ट्रस्ट के बनाये गये नियमों में हस्तक्षेप करने का व ट्रस्ट की सम्पत्ति व कार्यों में कोई स्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। ट्रस्ट के समस्त वैधानिक व महत्वपूर्ण कार्य अध्यक्ष, सचिव एवं **षाध्यक्ष** करेगे जिसमें अन्य किसी भी स्थाई या अस्थाई सदस्य या उक्त बनाये गये सदस्य को किसी भी

प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा अर्थात् अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, सचिव एवं **कोषाध्यक्ष** का ही होगा।

15. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे–न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष, सचिव एवं **कोषाध्यक्ष** करेंगें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिए आपातकालीन बैठक कर अध्यक्ष, सचिव एवं **कोषाध्यक्ष** द्वारा आहूत की जायेगी, सर्व सम्मत्ति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेगें, तथा अध्यक्ष, का निर्णय ही सर्वोपरि होगा।

16. यह कि ट्रस्टीगण समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे से प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव एवं **कोषाध्यक्ष** ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, **उपाध्यक्ष**, सचिव एवं **कोषाध्यक्ष** होगे।

17. यह कि प्रत्येक ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन अपनी पत्नी या बच्चों या कानूनी वारिसों में से किसी एक का अपनी इच्छानुसार करने का अधिकार होगा। यदि किसी कारणवश ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामंकन नहीं किया गया तो उक्त ट्रस्टी का सबसे बडा पुत्र या पुत्री या पत्नी या उसका कानूनी उत्तराधिकारी उक्त ट्रस्टी के स्थान पर ट्रस्टी होगा तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एदत्द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा, तथा ट्रस्ट के व्यवस्थापकों के अलावा उनके उत्तराधिकारी ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी है और माने जायेगें व उनको भी प्रथम ट्रस्टी के बराबर ही अधिकार प्राप्त होगें व उनकी पत्नी व सन्तानों को भी उन्हीं के समान अधिकार प्राप्त रहेगे।

M.HASIM

18. यह कि अध्यक्ष, सचिव एवं **कोषाध्यक्ष** को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। यह कि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष एवं सचिव को होगा। नये ट्रस्टी सदस्यों को नियुक्त एवं निष्कासन के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी और उसके लिए बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराना जरूरी होगा तथा इस ट्रस्ट में कोई संशोधन करने व पूरक ट्रस्ट डीड लिखने व उसे पंजीकृत कराने व कोई भी नियम बनाने या बदलने का अधिकार अध्यक्ष, को होगा।

19. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार आवश्यक होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 **दिन** पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय में सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य **स्थान** पर जहां ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

20. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का एक बटा तीन होगा अथवा किन्हीं दो ट्रस्टियों का जो भी अधिक होगा जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव का होना अनिवार्य है यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टिगणों को सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यो में अध्यक्ष एवं सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

21. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारी होगें। उक्त व्यवस्थापकों की मृत्यु के बाद उनकी सन्तान अथवा कानूनी वारिस उसी प्रकार पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारी होगे और सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

22. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गई राशि सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होगें तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट, अथवा अन्य व्यक्ति जिसके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गई है और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी

निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी प्रकार की हानि होने पर उनके द्वारा जानबूझकर की गई चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण नुकसान हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होगे।

23. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतू किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

24. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, सेविंग बैंक खाता, ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं। सभी उक्त बैकिग एकाउन्टस खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त या पृथक पृथक हस्ताक्षरों से होगा।

25. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिटठा बनायेगें जो कि अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा हस्तान्तरित किया जायेगा और उसका आडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

26. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

27. यह कि ट्रस्टीगण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतू कही भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने तथा विक्रय करने, किराये पर देने हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा, तथा ट्रस्ट द्वारा क्रय की गई भूमि/सम्पत्ति ट्रस्ट की भूमि/सम्पत्ति होगी तथा ट्रस्ट के लिए सम्पत्ति क्रय करने व विक्रय करने आदि के विलेख निष्पादन करके पंजीकृत कराने का अधिकार अध्यक्ष, का होगा।

आधार 773256373509

28. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सर्शत अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना, किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदान नहीं होगे।

29. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय–समय पर बैंक/संस्था/वित्तीय संस्था आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। इन सभी कार्यो को करने का अधिकार अध्यक्ष, करेगें।

30. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरों ऋण पत्रों व अन्य परिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

31. यह कि ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 व वैल्थ टैक्स एक्ट 1957 या कोई भी अन्य एक्ट के अन्तर्गत आयक के प्राविधानों के अनुसार छूट पाने की अधिकारी होगी और उसके लिये विभाग में कार्यवाही करेगी। जैसे कि आयकर धारा 80G अथवा कोई अन्य समानन्तर धारा जो कि आयकर एक्ट 1961 या उसके उत्तराधिकार में मान्य होगी, तथा आयकर अधिनियम के समस्त नियमों का पालन करेंगे।

32. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं तथा इसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी व ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा, तथा इन सब कार्यों के लिए अध्यक्ष, का निर्णय सर्वमान्य होगा।

33. यह कि यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट का कार्य करने में असमर्थ होगा तो वह अपने स्थान पर किसी अन्य को नौमिनी करके व ट्रस्ट से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग हो सकेगा किन्तु नया ट्रस्टी/नौमिनी

M. YASIN

ट्रस्टी अध्यक्ष, एवं सचिव की सहमति से ही बनेगा अध्यक्ष, की सहमति बिना नया ट्रस्टी/नौमिनी ट्रस्टी नहीं बन सकेगा तथा अध्यक्ष, ही अस्थाई/स्थाई नये ट्रस्टी बनाने के अधिकारी भी रहेगें।

-34.यह कि ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु कर्मचारियों/अधिकारी/ निवेशकों इत्यादि की नियुक्ति, सेवा समाप्ति आदि से सम्बन्धित कार्य अध्यक्ष, , सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा किये जायेंगे।

35.यह कि उक्त ट्रस्ट किसी भी लाभ के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है उक्त ट्रस्ट का उद्देश्य लाभ (Not for profit) अर्जित करना नहीं है।

36.यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे बैंक खातों का संचालन, ट्रस्ट के लिए सम्पत्ति क्रय–विक्रय करना आदि और भी महत्वपूर्ण कार्य जो भी ट्रस्ट संचालन के लिये हो उन सभी कार्यों को अध्यक्ष, संयुक्त रूप से अपने हस्ताक्षरों से कर सकेगें इनके अलावा अन्य किसी को ट्रस्ट में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

37.यह कि ट्रस्टी समस्त कार्य ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व चेरिटेबिल कार्यों के लिए ही करेगे, ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कोई कार्य नहीं करेगें तथा उपरोक्त समस्त कार्य ट्रस्ट के उद्देश्यों हेतु ही है।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ट्रस्टीगण ने अपने हस्ताक्षर किये हैं।

उत्तराखण्ड शासन

Online Public Data Entry Summary

UKPDE2023075102504

DISTRICT NAME :हरिद्वार SRO :

Appointment Date: UKPDE2023075102504

Appointment Time: 7-Feb-2023 11:06:27AM

Appointment TokenNo:

Deed/Article Type :Trust (Movable)

Sub-Deed/Sub-Article :Trust (Movable)

Village/Location For Index :

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :

Khewat :

Khasra : Khatoni :

House/Flat No:

Area :0.0000

Latitude -

Land Value :0.00 Longitude 0.0000000000

Transaction Value :0.00 Construction Value :0.00

Advance :0.00 Market Value :0.00

Lease Period :0.00

Stamp Duty :350.00 Avg. Rent :0.00

Pasting Fees :100 Regn Fees :100.00

Page :36 38

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	रकबा

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	100.00	-

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	350.00	-	7-Feb-2023	-

M. HASIN

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री ग्रीन वर्ल्ड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष मोहम्मद हसीन अहमद पुत्र श्री हसनु निवासी ग्राम व पोस्ट धनपुरा जिला हरिद्वार		Self		0000000000	ADHAAR : 7732 5637 3509
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री - पुत्र श्री - निवासी -		employed			OTHERS : -
गवाह	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री राजपाल निवासी ग्राम व पोस्ट अम्बुवाला पथरी फॉरेस्ट रेंज हरिद्वार		Self		0000000000	ADHAAR : 5378 2364 8706
गवाह	श्री सदाकत पुत्र श्री इनाम शाह निवासी 191 बाबरी शामली उत्तर प्रदेश		employed			
			Self		0000000000	ADHAAR : 9565 5444 9123
			employed			

Deed Writer /Advocate Name :